संख्या–4247/33–3–2023

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0 लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 02 फरवरी, 2023

विषयः–प्रस्तावित हाई स्पीड इण्टरनेट परियोजना के प्रूफ ऑफ कान्सेप्ट (पी.ओ.सी.) हेतु चयनित ग्राम पंचायतों में कार्यवाही के सम्बन्ध में।

महोदय,

पंचायतीराज विभाग द्वारा प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों में हाई स्पीड इण्टरनेट की उपलब्धता हेतु एक महत्वाकांक्षी परियोजना प्रस्तावित है। परियोजना के कियान्वयन से पूर्व इस सम्बन्ध में प्रूफ ऑफ कान्सेप्ट (पी.ओ.सी.) का निर्णय लिया गया है। विभाग ने इस दिशा में अग्रतर कार्यवाही करते हुए 15 फर्मों से 05–05 ग्राम पंचायतों के क्लस्टर में पी.ओ.सी. सम्पन्न कराने की प्रकिया शुरू की है। विभाग द्वारा इस दिशा में 08 आकांक्षात्मक जनपदों में हाई स्पीड इण्टरनेट सेवा उपलब्ध कराने के पश्चात् उन पर आधारित आई.टी. इनेबल्ड सेवाओं को उपलब्ध कराते हुए एक मॉडल सिस्टम स्थापित करने के दिशा–निर्देश दिए गए हैं।

2– हाई स्पीड इण्टरनेट तथा आई.टी. इनेबल्ड सेवाओं के लागू होने से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि व अन्य आजीविका तथा वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में अनेक नए अवसर पैदा होंगे एवं ग्रामीणो को स्वतंत्र रूप से इन सभी सेवाओं का लाभ मिल पायेगा। उक्त पी.ओ.सी. के कियान्वयन के लिए वर्तमान स्थिति व योजना के कियान्वयन के उपरान्त की उपलब्धि के आंकलन हेतु एक बेंचमार्क स्टडी किया जाना है।

उक्त के दृष्टिगत पी.ओ.सी. हेतु चयनित 64 ग्राम पंचायतों (सूची संलग्न) में एक सर्वेक्षण प्रस्तावित है। यह सर्वेक्षण आई.टी. माध्यमों द्वारा सम्पादित किया जायेगा। ग्रामीणों के मध्य आई.टी. इनेबल्ड सेवाओं तथा प्रस्तावित सर्वेक्षण के बारे में स्पष्ट जानकारी देने एवं ग्रामीणों को जागरूक करने हेतु समस्त ग्राम पंचायतों में विशेष जागरूकता कार्यक्रम चलाया जायेगा।

3– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पी.ओ.सी. हेतु चयनित ग्राम पंचायतों में सर्वेक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जाने हेतु यथोचित कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय,
2.2.23
(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

Amit Srl.

<u>संख्या व दिनांकः– तदैव।</u>

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त मण्डलीय उप निदेशक(पं0) उ0प्र0।
4. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।

आज्ञा से,

/

(अवधेश कुमार खरे)
संयुक्त सचिव।

Amit Sri.